

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /2095 /2022 दिनांक : 2.07.2022

श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 09.05.2022 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 10.05.2022 से 16.05.2022 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्रीमती रंजना-II की अनुपस्थिति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर के पद पर ही की गई।

अज्ञा से

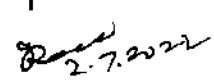
02.07.2022
मजिस्ट्रेट (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/83/2015/4714

दिनांक : 02.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 2883 दिनांक 20.05.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर ।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।


2.7.2022
सहायक रजिस्ट्रार